

उत्तराखण्ड में आदवासियों को UCC से छूट दी जाएगी

चर्चा में क्यों?

राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला प्रस्तावित उत्तराखण्ड [समान नागरिकी संहिता](#) राज्य की [आदवासी आबादी](#) को इसके प्रावधानों से पूरी तरह छूट देने के लिये तैयार है।

मुख्य बटु:

- उत्तराखण्ड की आबादी में लगभग 2.9% आदवासी हैं, जनिमें जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा प्रमुख हैं।
 - पहाड़ी राज्य में कुछ जनजातियों के बीच बहुपत्नी और बहुवविह भी प्रचलति प्रथा है।
- उत्तराखण्ड UCC समति ने भी इन आदवासी समुदायों के साथ समान संहति पर बातचीत की थी।
 - युवा जनजातीय आबादी ने यह भी प्रतिक्रिया दी थी कि हालाँकि पिछली पीढ़ियों में [बहुपति/बहुवविह](#) एवं अन्य प्रथाएँ प्रचलन में थीं, लेकिन अब वे शायद ही प्रचलन में हैं और इसलिये सुधार किये जा रहे हैं।
 - हालाँकि सभी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में आदवासी और जातीय समुदायों ने खुले तौर पर किसी भी नागरिकी संहति को लागू करने का वरिोध व्यक्त किया है जो उनके रीति-रिवाजों तथा जीवन के सदियों पुराने तरीकों को प्रभावति कर सकता है।
- मुसलमानों के लिये तलाक और पुनर्वविह पर हलाला, इद्दत व खुला वकिल्प नए कोड के तहत अवैध होंगे, जसिमें केवल न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से तलाक तथा पुनर्वविह की आवश्यकता होगी।
 - राज्य का कोड 'लवि-इन रलेशनशिप' के पंजीकरण को अनविर्य करेगा तथा पैदा हुए बच्चों के लिये पूर्ण उत्तराधिकार की मांग करेगा।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Maintenance



Inheritance



Adoption



Succession of Property



Marriage




Divorce

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."

Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016

उत्तराखण्ड की जनजातियाँ

- उत्तराखण्ड की जनजातियों में मुख्य रूप से पाँच प्रमुख समूह शामिल हैं जिनमें जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भूटिया शामिल हैं।
- जनजातीय आबादी का मुख्य संकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्रों में है।
 - रिकॉर्ड के अनुसार, कुल आदवासी आबादी का लगभग 94.50% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शेष प्रतर्षित आदवासी आबादी शहरी केंद्रों में रहती है।
- जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।
- उत्तराखण्ड के प्रत्येक ज़िले में जनजातीय आबादी का कम-से-कम प्रतर्षित है

- उत्तराखण्ड की इन जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-set-to-exempt-tribals-from-ucc>

